

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रामदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 27/01/23

रीडर/2023/366
प्रार्थनी

1 महेन्द्र कौर पत्नी रणसिंह के खास मुख्तयार रणसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति सिख निवासी हरीनगर गली नम्बर 04 भटिंडा तहसील व जिला भटिंडा पंजाब।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 पदमोदेवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी टाकूबेरी तहसील गुडामालानी 2 श्रीराम राठौड़ पुत्र भंवरलाल जाति खोराल, निवासी नई कॉलोनी माडापुरा तहसील पचपदरा 3 जगु 4 उगरा पिसरान मूला जाति जाट निवासी कपुरडी 5 रामसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 304/2022

दिनांक- 20/01/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कपुरडी पटवार क्षेत्र कपुरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 905/373 रकबा 02.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 27/01/23

क्रमांक :- रीडर/2023/367-70

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपुरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. महेन्द्र कौर पत्नी रणसिंह के खास मुख्तयार रणसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति सिख निवासी हरीनगर गली नम्बर 04 भटिंडा तहसील व जिला भटिंडा पंजाब।
4. विप्रार्थी पदमोदेवी पत्नी भूराराम जाति जाट वगैराह निवासी टाकूबेरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर